



कार्यालय राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/ 5468

दिनांक 18/07/2022

बजट आवंटन आदेश-39

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या- 23 : Hiring of machinery for eviction of encroachment and prevention of illegal mining and camp equipment, 24 : Purchasing/Hiring of Patrolling vehicles for forest protection and wildlife management (b) b) Hiring of Patrolling Vehicles for forest protection and rescue of wildlife @ Rs. 1.50 Lacs each forest division (If required). में वर्णित अनुसार आवंटित कार्यो को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01-12

2406- Forest & wildlife

04- Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present Value of Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

APO Item No. 23 : Hiring of machinery for eviction of encroachment and prevention of illegal mining and camp equipment.

APO Item No. 24 : Purchasing/Hiring of Patrolling vehicles for forest protection and wildlife management : (b) Hiring of Patrolling Vehicles for forest protection and rescue of wildlife @ Rs. 1.50 Lacs each forest division (If required).

(राशि रु. लाखों में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	23 : Hiring of machinery for eviction of encroachment and prevention of illegal mining and camp equipment.	24 (b) Hiring of Patrolling Vehicles for forest protection and rescue of wildlife @ Rs. 1.50 Lacs each forest division (If required).	Total Budget allotment
		Amount to be allotted	Amount to be allotted	
1	2	3	4	5
1	उ.व.स., अजमेर	2.00000	1.00000	3.00000
2	उ.व.स., भीलवाड़ा	1.00000	1.00000	2.00000
3	उ.व.स., नागौर	1.00000	1.00000	2.00000
4	उ.व.स., टोंक	1.00000	1.00000	2.00000
5	उ.व.सं. भरतपुर	2.00000	1.00000	3.00000
6	उ.व.स., धौलपुर	1.00000	1.00000	2.00000
7	उ.व.स., करौली	2.00000	1.00000	3.00000
8	उ.व.स., सवाई माधोपुर	1.00000	1.00000	2.00000
9	उ.व.स., बीकानेर	0.50000	1.00000	1.50000
10	उ.व.स., स्टेज-II, बीकानेर	0.50000	1.00000	1.50000
11	उ.व.स., स्टेज-I, छतरगढ़	0.50000	1.00000	1.50000
12	उ.व.स., हनुमानगढ़	0.50000	1.00000	1.50000
13	उ.व.सं. चूरू	0.50000	1.00000	1.50000
14	उ.व.सं. श्री गंगानगर	0.50000	1.00000	1.50000
15	उ.व.सं. बाड़मेर	1.00000	1.00000	2.00000
16	उ.व.सं. जैसलमेर	1.00000	1.00000	2.00000
17	उ.व.स., स्टेज-II जैसलमेर	0.50000	1.00000	1.50000

18	उ.व.स., जालौर	1.00000	1.00000	2.00000
19	उ.व.स., जोधपुर	2.00000	1.00000	3.00000
20	उ.व.स., पाली	1.00000	1.00000	2.00000
21	उ.व.स., सिरोही	1.00000	1.00000	2.00000
22	उ.व.स., जयपुर	0.50000	1.00000	1.50000
23	उ.व.स., अलवर	3.00000	1.00000	4.00000
24	उ.व.स., दौसा	1.00000	1.00000	2.00000
25	उ.व.स., जयपुर उत्तर	1.00000	1.00000	2.00000
26	उ.व.स., झुझुनू	2.00000	1.00000	3.00000
27	उ.व.स., सीकर	1.00000	1.00000	2.00000
28	उ.व.स. कोटा	3.00000	1.00000	4.00000
29	उ.व.स., बून्दी	2.00000	1.00000	3.00000
30	उ.व.स. बारां	2.00000	1.00000	3.00000
31	उ.व.स., झालावाड़	2.00000	1.00000	3.00000
32	उ.व.स., उदयपुर उत्तर	1.00000	1.00000	2.00000
33	उ.व.स., चित्तौड़गढ़	1.00000	1.00000	2.00000
34	उ.व.स. बांसवाड़ा	1.00000	1.00000	2.00000
35	उ.व.स., डूंगरपुर	1.00000	1.00000	2.00000
36	उ.व.स. प्रतापगढ़	1.00000	1.00000	2.00000
37	उ.व.स., उदयपुर	2.00000	1.00000	3.00000
38	उ.व.स., वन्य जीव भरतपुर	1.00000	1.00000	2.00000
39	उ.व.स. (प्रथम) रण बाघ, परि. सवाई माधोपुर	1.00000	1.00000	2.00000
40	उ.व.स. (द्वितीय) रण बाघ, करौली	1.00000	1.00000	2.00000
41	उ.व.स. वन्य जीव चम्बल अभ्यारण्य सवाई माधोपुर	1.00000	1.00000	2.00000
42	उ.व.स., वन्य जीव जोधपुर	1.00000	1.00000	2.00000
43	उ.व.स., वन्य जीव बीकानेर	0.50000	1.00000	1.50000
44	उ.व.स. आबू पर्वत सिरोही	1.00000	1.00000	2.00000
45	उ.व.स., वन्य जीव जैसलमेर	1.00000	1.00000	2.00000
46	उ.व.स., वन्य जीव जयपुर	1.00000	1.00000	2.00000
47	उ.व.स., वन्य जीव चिडियाघर, जयपुर	2.00000	1.00000	3.00000
48	उ.व.स. एवं उ.क्षे.नि. बाघ परि. सरिस्का अलवर	2.00000	1.00000	3.00000
49	उ.व.स. वन्य जीव कोटा	2.00000	1.00000	3.00000
50	उ.व.स. वन्य जीव एम.एन.पी. कोटा	1.00000	1.00000	2.00000
51	उ.व.स. वन्य जीव, उदयपुर	1.00000	1.00000	2.00000
52	उ.व.स. वन्य जीव, चित्तौड़गढ़	1.00000	1.00000	2.00000
53	उ.व.स. वन्य जीव राजसमंद	1.00000	1.00000	2.00000
कुल योग		64.50000	53.00000	117.50000

शर्तें

1. Prior to implementation of above activities, the Dcfs shall submit a certificate to State CAMPA to the effect that the proposed activities are being taken up after due consultation with Gram Sabha and are as per provisions of FRA 2006. Activities proposed in forest areas are in consonance with approved working plan; and activities proposed in protected areas (PAs) are in consonance with approved Wildlife Management Plan.
2. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
3. Hiring of Machinery मद में आवंटित राशि के पूर्ण उपयोगिता के उपरान्त ही आगामी किश्त देय हो पायेगी।
4. आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
5. आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
6. उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
7. उक्त आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो क्योंकि स्टेट कैम्पा का अकाउन्ट ब्याज वियरिंग हैं।

- 8 राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें से किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय नहीं किया जावे।
- 9 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड **Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/IFMS Accounting Rules** एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संघारित करें। लेखों के आडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 10 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 11 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 12 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय द्वारा प्रसारित समस्त निर्देशों की पालना की जावे।
- 13 कैम्पा के आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय संपादित किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं में परस्पर **Overlapping** से बचा जा सकें।
- 14 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 के तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित पद्धति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।

Shikha

(शिखा मेहरा)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/

दिनांक/...../2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक - अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/उदयपुर/वन्य जीव-सवाई माधोपुर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 4 उप वन संरक्षक - अजमेर/भीलवाड़ा/नागौर/टोंक/भरतपुर/धौलपुर/करीली/सवाई माधोपुर/बीकानेर/स्टेज-II/बीकानेर/स्टेज-I, छतरगढ़/हनुमानगढ़/चूरु/श्री गंगानगर/बाड़मेर/जैसलमेर/स्टेज-II/जैसलमेर/जालौर/जोधपुर/पाली/सिरोही/जयपुर/अलवर/दौसा/जयपुर उत्तर/झुंझुन/सीकर/कोटा/बून्दी/बारा/झालावाड़/उदयपुर उत्तर/चित्तौड़गढ़/बांसवाड़ा/डूंगरपुर/प्रतापगढ़/उदयपुर/वन्य जीव - भरतपुर/(प्रथम) रण.बाघ. परि. सवाई माधोपुर/(द्वितीय) रण.बाघ. परि. करीली/चम्बल अभ्यारण्य सवाई माधोपुर/जोधपुर/बीकानेर/आबू पर्वत सिरोही/जैसलमेर/जयपुर/चिडियाघर, जयपुर/बाघ परि. सरिस्का अलवर/कोटा/एम.एन.पी. कोटा/उदयपुर/चित्तौड़गढ़/राजसमंद
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा को आई.एफ.एम.एस पर बजट अपलोड करने बाबत।
- 7 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु/रक्षित पत्रावली।

(अभिषेक शर्मा)

उप वन संरक्षक (कैम्पा)

राजस्थान, जयपुर।